न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 1148/2012

आर.सी.एम.एस. नम्बर :: 2012/00159

प्रार्थी :— सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर

बनाम

अप्रार्थिया :—

1. गोपू पुत्र भीका राईका के का.मु.
1/1 कानाराम पुत्र गोपू राईका
1/2 मोतीराम पुत्र गोपू राईका
1/3 गायड़राम पुत्र गोपू राईका
1/4 मधूदेवी पत्नी गोपू राईका निवासी गिरी तहसील रायपुर जिला पाली(राज.)

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

1. प्रार्थी की ओर से श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार उपस्थित

—:: आदेश ::—

दिनांक : 6/8/2018

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रानी द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम गिरी, पटवार हल्का गिरी तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 1177 किस्म गै.मु. नदी में से खसरा नम्बर 1177/1 रकबा 0.05 बीघा की किस्म गैर मुमकिन बाडा के नियम विरूद्ध परिवर्तन कर किए गए नियमन को निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील के अनुपस्थित रहेने से प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया तथा बहस सरकारी पैरोकार सुनी गई।

सरकारी पैराकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम गिरी, पटवार हल्का गिरी तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 1177 किस्म गै.मु. नदी में से खसरा नम्बर 1177/1 रकबा 0.05 बीघा की किस्म गैर मुमकिन बाडा का अप्रार्थीगण के पिता/पति के हक में नियमन किया गया। जिसकी पालना में अप्रार्थीगण के पिता/पति को जरिये नामान्तरकरण संख्या 406 दिनांक 23.11.1975 के द्वारा बतौर खातेदार दर्ज किया गया तथा उसके फौत होने से उसके वारिशान को जरिये नामान्तरकरण संख्या 1686 व 1747 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। उक्त नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत गै.मु. नदी प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से नियमन नहीं किया जा सकता है। उक्त नियमन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार

अति० जिला कलेक्टर, पाली

में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के नियमन आदेश के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 406 दिनांक 23.11.1975 व उसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरणसंख्या 1686 व 1747 को भी निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

सरकारी पैरोकार की बहस एवं पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम गिरी, पटवार हल्का गिरी तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 1177 किस्म गै.मु. नदी में से खसरा नम्बर 1177/1 रकबा 0.05 बीघा की किस्म गैर मुमकिन बाडा का अप्रार्थीगण के पिता/पति के हक में नियमन किया गया। जिसकी पालना में अप्रार्थीगण के पिता/पति को जरिये नामान्तरकरण संख्या 406 दिनांक 23.11.1975 के द्वारा बतौर खातेदार दर्ज किया गया तथा उसके फौत होने से उसके वारिशान को जरिये नामान्तरकरण संख्या 1686 व 1747 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। वक्त नियमन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन नदी दर्ज थी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से अप्रार्थीगण के हक में किया गया नियमन विधि विरूद्ध होने से स्पष्टतया खारीज योग्य है। इसके साथ ही जैर प्रार्थना पत्र आराजी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी पूर्णतः प्रभावित होने से जैर प्रार्थना पत्र नियमन आदेश एंव उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 406 दिनांक 23.11.1975 व उसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरणसंख्या 1686 व 1747 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रायपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के पिता/पति गोपू पुत्र भीका राईका निवासी गिरी तहसील रायपुर जिला पाली (राज.) के पक्ष में किया गया नियमन आदेश व उक्त आदेश एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 406 दिनांक 23.11.1975 व उसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरणसंख्या 1686 व 1747 को निरस्त फरमाया जावे एवं जैर प्रार्थना पत्र आराजी को पुनः गै.मु. नदी दर्ज कराने के आदेश फरमावें।

(भागीरथ बिश्नाई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली